

C.D. NO- 2271/26

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, गोण्डा।

सरकार बनाम बड़का आदि

मु०अ०सं०-421/2025

घारा-191(2), 115(2), 352 BNS

थाना - मनकापुर, जिला गोण्डा।

दिनांक- 09-04-2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **बड़का, मोहन, तारा देवी, श्रवण कुमार, राजवन्ती उर्फ छोटका, अनीता देवी उर्फ पूजा, शिवशंकर, पप्पू, रामफेर, नान्हें, महिला** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्तगण उपरोक्त आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया है कि अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **बड़का, मोहन, तारा देवी, श्रवण कुमार, राजवन्ती उर्फ छोटका, अनीता देवी उर्फ पूजा, शिवशंकर, पप्पू, रामफेर, नान्हें, महिला** प्रत्येक द्वारा मु०-20,000/रु० का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।



(शबीना खान)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
गोण्डा।

09-04-2026